(36)

अनावश्यक घूमना

विधान सभा सचिवालय
छत्तीसगढ़

क्रमांक 7953/विस./स्था./2001, रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2001.

// कायार्लय सूचना //

बुधवार, दिनांक 29 अगस्त, 2001 को मान. सचिव महोदय द्वारा सचिवालय परिसर के, किये गये निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि सचिवालयीन कर्मचारी मध्यान्ह अवकाश के अलावा भी अनावश्यक रूप से घूमते दिखाई देते हैं, इस स्थिति पर सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है और निर्देशित किया गया है कि भविष्य में कोई भी कर्मचारी बिना अधिकारियों की अनुमति के अपना स्थान नहीं छोड़ेगें ।

नियंत्रण की दृष्टि से यह व्यवस्था होगी कि सुरक्षा कर्मी गेट पर रजिस्टर रखेंगे और प्रत्येक आने-जाने वाले कर्मचारियों की जानकारी उसमें संधारित करेंगे, जिसका अवलोकन सचिव महोदय द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा ।

अतः समस्त शाखा प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों को भी निर्देश से अवगत कराएं । निर्देशों की अवहेलना होने पर संबंधित कर्मचारी के साथ-साथ शाखा प्रभारी भी इसके लिए उत्तरदायी माने जायेगें ।

आदेश से,

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

(37)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक 12,234 /वि.स./स्था./2002 रायपुर, दिनांक 7/12/2002

कार्यालय सूचना

प्रायः यह देखा गया है कि सचिवालय की विभिन्न शाखाओं के कुछ कर्मचारी कार्यालय समय में अपनी शाखा से अनुपस्थित होकर विधान सभा भवन के बाहर अनावश्यक रूप से घूमते पाये जाते हैं।

कर्मचारियों का उक्त कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक है, जिसे सचिव महोदय ने गंभीरता से लिया है।

अतः समस्त शाखा प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी शाखा के अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों पर समुचित नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

आदेश से,

7/XII/02

(राधाकृष्ण गुप्ता)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

(38)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक /विस/स्था./2011 रायपुर, दिनांक :

सूचना

प्रायः देखा गया है कि सचिवालय स्थित विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी अपने कक्ष में उपलब्ध नहीं रहते तथा अन्य शाखाओं में बैठे रहते है या यत्रतत्र विचरण करते रहते हैं, जिससे शाखाओं का कार्य बाधित होता है ।

अतः आदेशानुसार समस्त कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि कार्यालय समयावधि में बिना शाखा प्रभारी की अनुमति के अपना स्थान न छोड़ें। स्थान पर उपलब्ध न रहने अथवा अन्यत्र पाये जाने पर संबंधित शाखा के अनुभाग अधिकारी भी इसके लिये उत्तरदायी होंगे ।

समस्त कर्मचारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

आदेश से,

ह्स्ता.

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 5689/विस/स्था/2011 रायपुर, दिनांक : 6/5/11

प्रतिलिपि :-

1. माननीय अध्यक्ष के सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय नेता प्रतिपक्ष के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
3. माननीय उपाध्यक्ष के निज सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर की ओर मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वित्तीय समिति अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा